न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–69/2021 (GCMS No. 2021/73) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. हरकिशन पुत्र कंचन आयु 80 साल जाति गुर्जर निवासी टीकैतपुरा तहसील व जिला करौली (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हेतराम पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर आयु 50 साल निवासी टीकैतपुरा तहसील व जिला करौली (राज.)
2. तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज.
3. उपखण्ड अधिकारी करौली तहसील व जिला करौली राज.

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2020 उपखण्ड अधिकारी करौली अपील संख्या 19/2020 उनवानी हेतराम बनाम तहसीलदार करौली।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री विजयसिंह कुन्तल, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 21.05.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 पेश किया कि प्रार्थी की माता की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 114/10 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा ग्राम विरवास तहसील करौली में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रेस्पो. करई देवी पत्नि रामसहाय के नाम दर्ज है। माता के मरने के बाद व पूर्व में प्रार्थी रेस्पो. सं. 1 का भूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है। भूमि दीगर आराजीयात से भिडी होने पर लोग झगडालू प्रवृत्ति के है और आराजीयात की डोल मेढ को काटकर अपनी आराजी में मिलाने के आदि हो चुके हैं। इसलिए ख.नं. 114/10 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा में पत्थरमढी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. सं. 1 का प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 से स्वीकार कर पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।

3. विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी रेस्पो. सं. 1 के द्वारा दिनांक 25.07.2021 को यह कहने पर कि मैने अदालत से जमीन की पैमाईश पत्थरगढी के आदेश करा लिये हैं। और हरिकृष्ण वगैराह की जमीन को अपनी जमीन में मिलाकर नपवाकर बेदखल कर दूँगा तथा पक्की पत्थरगढी कर लूँगा तब अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 26.07.2021 को पेश किया जिसकी नकल दिनांक 28.07.2021 को प्राप्त होने पर जानकारी दिवस 25.07.2021 से पूर्व के समय को कण्डोन क्षम्य करते हुये अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है।

4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मयशपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

5. विद्वान वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि प्रार्थी रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 पेश किया कि प्रार्थी की माता की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 114/10 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा ग्राम विरवास तहसील करौली में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रेस्पो. करई देवी पत्नि रामसहाय के नाम दर्ज है। माता के मरने के बाद व पूर्व में प्रार्थी रेस्पो. सं. 1 का भूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है। भूमि दीगर आराजीयात से भिडी होने पर लोग झगडालू प्रवृत्ति के है और आराजीयात की डोल मेढ को काटकर अपनी आराजी में मिलाने के आदि हो चुके हैं। प्रार्थी रेस्पो. ने दीगर व्यक्तियों से डोल काटने को मना किया तो झगडा करने पर आमादा हो गये और पटवारी हल्का से नाम कराने एवं पत्थर गढी कराने की कहते है। दिनांक 14.06.2019 को मजबूर होकर प्रार्थी ने तहसीलदार को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। रेस्पो. संख्या 2 तहसीलदार करौली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना जबाब पेश किया कि खसरा नम्बर 114/10 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का से दिनांक 11.08.2020 को करवा दिया है। अप्रार्थी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पत्थरगढी कराने को तैयार है। किसी प्रकार की अपत्ति नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र ख.नं. 114/10 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा की सीमाज्ञान से संबंधित पेश किया एवं ख.नं. 114/8 रकवा बीघा विस्वा अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 की भूमि आसपास अलग बगल में है। रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट से छिपाते हुये गलत तथ्य पेश कर आवेदन किया गया जिसमें अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। अपीलांट को कोई सुनवाई व जबाबदेही का अवसर नहीं दिया जबकि रेस्पो. सं. 1 का स्पष्ट आरोप है कि दीगर आराजीयात से उक्त आराजीयात भिडी हुई होने के कारण लोग झगडालू प्रवृत्ति के हैं और डोल मेढ को काटकर अपनी आराजीयात में मिलाने पर आमादा है किन्तु आस पडौसियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। केवल तहसीलदार करौली को पक्षकार बनाया जाकर एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कानून का पालन किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों विपरीत आदेश पारित कर दिया जो आर्वीट्रेरी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी के आस पडौसियों को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन हेतराम द्वारा पेश किया और अपनी मॉ करई देवी की खातेदारी की भूमि बतायी। मॉ के मरने के बाद कौन को वारिस उत्तराधिकारी ख.नं. 114/10 बतौर खातेदार विरासत हुई अपने आवेदन में नहीं बताया है। सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया और पक्षकार नहीं बनाने के संबंध में कोई कारण भी नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार मुकदमा नहीं था। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 अपीलांट के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करता है। अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 114/8 है एवं रेस्पो की ख.नं. 114/10 है। दोनों भूमि आस पास है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया है। और रेस्पो. सं.1 अपीलांट की उक्त भूमि पर नजर रखे हुये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं मामला पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2002(1) पेज 357, आरआरटी 2008(1) पेज 82 एवं आरआरटी 2017(2) पेज 1084 उद्वत किये।

6. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि ग्राम विरवास पटवार मण्डल मांची के खसरा नम्बर 114/10 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा की पत्थरगढी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

फसल उपरान्त खेत खाली होने पर पक्षकारों की मौजूदगी में की जावे। खसरा नम्बर 114/8 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा हरिकिशन पुत्र कंचन के नाम खातेदारी में दर्ज है जो खसरा नम्बर 114/10 से लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। जब अपीलांट पक्षकार नहीं है तो उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 11.08.2020 को गवाहों के समक्ष मौके पर पटवारी हल्का द्वारा कराया जाना तथा दीगर व्यक्ति आये दिन डोल काट कर अपनी भूमि में मिला रहे हैं अंकित किया है परन्तु पत्रावली में इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों के सुने बिना निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। आराजी ख.नं. 114/10 एवं आराजी ख.नं. 114/8 अगल बगल में स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 13.10.2020 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी करौली को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर